

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

इंद्रराम

बनाम

उदयरामकिस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 187/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उदयराम</u></p> <p>पिता श्री <u>वेणुजी आर्य</u></p> <p>निवासी <u>पाण्डोली (फ.ह. पाण्डोली) चित्तौड़गढ़</u> गावसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 935, 936, 937, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958</u></p> <p>कुल कीता <u>2.6</u> कुल रकबा <u>3.9100</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पाण्डोली (फ.ह. पाण्डोली)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 935, 936, 937, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958</u></p> <p>कुल कीता <u>2.6</u> रकबा <u>3.9100</u> है० की बिना किसी कब्जे में बखलनाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500</u> रुपये अक्षरे <u>पन्द्रह सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बी.नू. देवल) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>